पानी बचाओ

मछली बचाओ

मछुआरों को बचाओ

Small Scale Fish Workers' Consolidation
20/4 Sil Lane, Kolkata - 700 015
Phone & Fax : 033-2328 3989
E-mail : inlandfisheries.india@gmail.com

हमारा लक्ष्य • हमारा संकल्प

मिशन स्टेटमेंट

हम मछली के संसाधनों और छोटे और सीमान्त मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली मत्स्योद्योग नीति की हिमायत करते हैं। हम मानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुँचाये बिना मछली के स्रोतों का उपयोग करने का छोटे मछुआरों को अधिकार है।

हम जन शक्ति द्वारा लोकसत्ता स्थापित करने के लिए बैकल्पिक राजनीतिक ढाँचा बनाने के लक्ष्य को समर्पित हैं, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक राजनीति के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का हमारा संकल्प है।

छोटे मत्स्यकर्मियों की एकजुटता

यह मिशन स्टेटमेंट कई संगठन अपना रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी है और कइयों ने तो इसे अपना लिया है।

हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सभी एकसमान सोच वाले संगठन और अन्य नागरिक समाज के सदस्यों का संयुक्त मोर्चा बनाने में हम कामयाब होंगे।

हमें उमीद है कि हम साथ मिलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे

मिशन स्टेटमेंट

हमारा लक्ष्य ● हमारा संकल्प

हम मछली के संसाधनों और छोटे और सीमान्त मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली मत्स्योद्योग नीति की हिमायत करते हैं। हम मानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुँचाये बिना मछली के स्रोतों का उपयोग करने का छोटे मछुआरों को अधिकार है। हम जन शक्ति द्वारा लोकसत्ता स्थापित करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक ढाँचा बनाने के लक्ष्य को समर्पित हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक राजनीति के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का हमारा संकल्प है।

अथाह जल संपदा भारत को प्रकृति की अमूल्य देन है। भारत के तीनों ओर विशाल समुद्र, अनगिनत नदियाँ, झीलें, वेटलैण्ड्स, जलाशय और तालाबें आदि हमारे विभिन्न प्रकार के विपुल जल स्रोत हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से विपुल मात्रा में प्राप्त हो रही अनेकविध प्रकार की मछलियों ने हमें मछली के निर्यात में विश्व में दूसरे क्रम पर ला खड़ा कर दिया है।

कैप्चर और कल्चर, दोनों पद्धतियों के द्वारा हमारे यहाँ 1 करोड़ 10 लाख टन मछली पैदा होती है, जिसका दो-तिहाई से अधिक हिस्सा आंतरिक जल स्रोतों से प्राप्त होता है। देश के मत्स्योद्योग क्षेत्र में 60 लाख मछुआरे, मछली पालक, मछली को सुखाने-सम्हालने वाले और बेचने वाले हैं। उनके 3 करोड़ परिवार जनों के जीवन का यह आधार है। इन में से दो-तिहाई को आंतरिक जल संसाधन क्षेत्र रोज़गार देता है।

मछली से हमें उच्च क्वालिटी का प्राणीज प्रोटीन और अन्य मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। भारत में लगभग 80 करोड़ लोग मछली खाते हैं। 1961 से हमारे आहार में मछली का प्रति व्यक्ति उपयोग तीनगुना से अधिक हो गया है। हमारे देश में जितना प्राणीज प्रोटीन भोजन में लिया जाता है इसमें 13 प्रतिशत मछली से मिलता है। प्राणीज प्रोटीन के रूप में मछली दूध के बाद दूसरे क्रम पर है।

इस तरह मत्स्योद्योग अन्न सुरक्षा, पोषण की स्थिति और रोज़गार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, यह कहना काफ़ी होगा कि रोज़गार में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता है उसे भी मत्स्योद्योग दुरस्त करता है क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा तो महिलाएं काम करती हैं।

आज मछली के स्रोतों पर भारी दबाव है। अंधाधूँध अतिक्रमण, प्रदूषण और खेती आादि हेतु पानी के उपयोग के कारण हमारे समुद्री और आंतरिक जल स्रोत ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके साथ मछलियों के स्रोत भी ख़त्म हो रहे हैं। यंत्रचालित नावों और ट्रॉलरों से निरंकुश ढंग से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं जिसका नतीजा यह है कि भारत की 8000 किलोमीटर की तटरेखा के नज़दीक के पानी में मछलियाँ लुप्त हो चुकी हैं।

छोटे मछुआरे और मछली पालक पानी के सबसे बड़े दावेदार भी हैं और संरक्षक भी। वे पानी का ख़र्च नहीं करते। अच्छी मछली के लिए चाहिए अच्छा पानी। छोटे और पारंपरिक मछुआरे किसी भी प्रदेश में और हमेशा पानी और मछली के स्रोत को बचाए रखने के लिए जद्दोजिहद करते हैं। यहाँ यह

बताना आवश्यक है कि पारंपरिक मच्छीमारी प्रकृति को हानि नहीं पहुँचाती और जलस्रोत के परिवेश को अनुकूल है। पारंपरिक मछुआरे छोटी मछली को नहीं पकड़ते, उसे परिपक्व होने देते हैं, जिससे वह अण्डे देने लायक उम्र तक पहुँचे। ऐसा करने से मछलियों का स्टाक अपने आप ताज़ा होता रहता है।

सरकार ने बंदरगाहों को आधार बना कर एक विकास योजना शुरू की है जिसे **सागरमाला** नाम दिया गया है। यह योजना तटीय प्राकृतिक संपदा को मटियामेट किये बिना छोड़ेगी नहीं। इसके साथ नदियों को जोड़ने की योजना और 110 राष्ट्रीय जलमार्गों की योजना भी जुड़ेंगी। हमारी प्रमुख नदियाँ – गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, माण्डवी और ज़ुआरी में विनाश का ऐसा ज्वार उठेगा जो मछलियों के बचेखुचे स्टाक को भी निगल जाएगा।

आज मत्स्योद्योग एक नीतिगत संघर्ष में उलझा है। ज़्यादा से ज़्यादा पूँजीनिवेश करके उत्पादकता बढ़ाने की लालच में पर्यावरण और जैविक परिवेश की अनदेखी की जा रही है और कई उद्योगपति आने लगे हैं, जिन्हें कभी मत्स्योद्योग से सरोकार नहीं रहा। वे छोटे मछुआरों और मछली पालकों को बेदखल कर रहे हैं, उनकी रोज़ीरोटी छीन रहे हैं। इसकी मार पड़ती है छोटे और पारंपरिक मछुआरा समाज पर। वे पीछे खिसकते जाते हैं। इस दबाव के चलते मत्स्योद्योग में वे टिक नहीं सकते। सरकार ने नीली क्रान्ति की घोषणा की है जो केवल इसी बिखराव की प्रक्रिया को नई गति देती है।

बड़ा गज़ब तो यह है कि आज हज़ारों छोटे मछुआरों को, जो अपनी आजीविका

के संसाधनों और जल स्रोतों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों से भी खदेड़ा जा रहा है।

हमारा बुनियादी प्रतिबद्धता

हम छोटे स्तर के मत्स्योद्योग के संरक्षण और विकास के समर्थक और पक्षधर हैं। छोटे स्तर का मत्स्योद्योग वह है, जिसमें मछुआरे और संबंधित श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया जीवननिर्वाह के लिए काम करते हैं, न कि दूसरों के श्रम का शोषण कर के मुनाफ़ा कमाने के लिए।

हमारा दृढ मत है कि छोटे मछुआरे और मछली पालकों का जल संसाधनों पर अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह कि मछुआरे और मछली पालकों को समुद्रों, नदियाँ, झीलों, वेटलैण्ड्स, जलाशयों, सरोवरों और तालाबों में सहनीय ढंग से मछली पकड़ने और मछली का पालन करने का अविभाज्य अधिकार है।

मूलभूत नीति संबंधित दिशाएं

हम निम्नलिखित मूलभूत नीति संबंधित दिशानिर्देशों के समर्थक और पक्षधर हैं –

१. सहनीय विकास :

मत्स्योद्योग के संरक्षण, देखभाल और प्रोत्साहक कदम उठाते समय जैविक परिवेश संबंधी सिद्धांतों का पालन होना चाहिए और जल तथा जल स्रोतों के विकास का लक्ष्य होना चाहिए।

२. छोटे मत्स्यकर्मियों का सामाजिक और आर्थिक उत्कर्ष :

नीति बनाते समय यह एक केन्द्रीय मुद्दा बनना चाहिए। नये प्रकार के उद्यमी बाहर से आ कर पारंपरिक छोटे मछुआरों और अन्य मत्स्यकर्मियों को निष्कासित न कर दे अथवा सरकार की सहायता को ये लोग हड़प न कर सके इस उद्देश्य से बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए।

३. बड़े लोगों की अधिक ज़िम्मेदारी का सिद्धांत :

मछली के व्यवसाय में ज़्यादातर तो छोटे और ग़रीब मछुआरे हैं। इनकी भलाई मछली उद्योग की भलाई से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। यह देखना आवश्यक है कि उन्हें सुरक्षा, सहायता और समर्थन कार्यक्रम, सेवाओं और योजनाओं के लाभ के साथ मछली के स्रोतों पर भी अधिकार मिलना चाहिए और यह व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि नीचे अधिक मदद और उपर जाते अधिक ज़िम्मेदारी मिले। सभी सेवाएं और सहायता कार्यक्रम नीचे के स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से लागू होने चाहिए और कानुन तोड़ना अथवा दोषों के लिए दण्ड आदि ऊपर की ओर जाते ज़्यादा सख़्त होने चाहिए।

क. प्रबंधन में हिस्सेदारी :

फिशरीज़ के प्रबंधन में पानी की शुद्धता, नदी, नहर, झील, वेटलैण्ड्ज़ और तालाब जैसे सभी जल स्रोतों की सुरक्षा और देखभाल और वाटरशेड मैनेजमेंट की नीतियों का समावेश करना चाहिए। छोटे मत्स्यकर्मी हमारे जलस्रोतों के सब से बड़े और प्रथम दावेदार हैं जो पानी का सीधा ख़र्च नहीं करते। अधिक महत्वपूर्ण बात यह, कि वे हमारे जल स्रोतों के स्वाभाविक रूप से संरक्षक हैं

क्योंकि अच्छी मछली के लिए पानी भी अच्छा चाहिए। इस कारण से छोटे मछुआरों के समुदाय के प्रतिनिधियों को पानी, पानी के स्रोत और वाटरशेड संबंधी नीतियाँ और उनके कार्यान्वयन में अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए।

ख. आनेवाली पीढ़ी को समान अधिकार :

प्राकृतिक संसाधन कोई एक पीढ़ी के लिए नहीं हैं, आनेवाली पीढ़ी का भी उन पर समान अधिकार है। इस लिए राष्ट्रीय मत्स्योद्योग नीति में संसाधनों की देखभाल और सुरक्षा करते हुए मछुआरा समुदाय की नई-पुरानी पीढ़ियों को भी शामिल करना प्रधान उद्देश्य होना चाहिए।

ग. लैंगिक न्याय :

मछली के व्यवसाय के विभिन्न कार्यों में पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या आधे से ज़्यादा है। महिलाएं, पुरुषों के मुकाबले और भी ज़्यादा उपेक्षित हैं और अपनी समस्याएं सुलझाने में कम सक्षम होती हैं। राष्ट्रीय नीति में संसाधनों के आबंटन और उपलब्धता में महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान देने का प्रावधान करना चाहिए।

घ. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समुदाय आधारित सामना :

जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव समुद्री एवं आंतरिक दोनों मत्स्योद्योग क्षेत्रों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नज़र रखने की सक्षम व्यवस्था और इसका तोड़ निकालने के कारगर तरीक़े बहुत जलदी ढूँढने की

आवश्यकता है। यह कार्य मछुआरा समुदाय को शामिल करने और पर्याबरण और परिवेश के लिए ख़तरनाक़ मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने से ही हो सकता है।

III. सावधानी बरतने की आवश्यकता :

मछली उद्योग का दारोमदार मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों और जलस्रोतों के जैविक परिवेश पर है। इस लिये इस क्षेत्र में अन्य सामाजिक ग्रुप, नई तकनीक, नई प्रजातियाँ और मछलियों के लिए नये आहार को जोड़ने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिस चीज़ के प्रभाव के बारे में हम ठीक से जानते नहीं।

प्रशासकीय क़दम

हम केन्द्र और राज्य सरकारों के स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रशासकीय क़दम उठाने का पुरज़ोर आग्रह करते हैं –

क) **केन्द्र और राज्यों में स्वतंत्र मत्स्योद्योग मंत्रालयों** की रचना करनी चाहिए **और इनको सहनीय मत्स्योद्योग को सुरक्षा और प्रोत्साहन** देने का और, मछुआरे, मछली पालकों, मछली विक्रेताओं और अन्य सहायक कामों में लगे **सभी छोटे मत्स्यकर्मियों की आजीविका को संरक्षण प्रदान करने** का दायित्व सोंपा जाना चाहिए।

ख) **राष्ट्रीय मत्स्योद्योग आयोग की रचना** करनी चाहिए, जो नीतियों के

कार्यान्वयन पर निगरानी रखे, अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाए और छोटे क्षेत्र के मत्स्यकर्मियों के अधिकारों और पात्रता को सुरक्षित बनाए।

विशेष अधिकारों और पात्रताएं

क) **छोटे मछुआरा समुदायों के व्यवसाय की गरिमा को मान्यता:**

जाति, लिंग और धर्म के भेदभाव के बिना हर एक मत्स्यकर्मी – मछुआरे, मछली पालक और मछली विक्रेता – को उनके व्यवसाय की गरिमा और उनके अधिकारों और पात्रता की मान्यता के प्रतीक के रूप में सरकारी पहचान पत्र देना चाहिए।

ख) **अवधि के अधिकार :**

- बड़े पैमाने पर मच्छीमारी करने वालों की तुलना में छोटे मछुआरों को हर प्रकार के जल स्रोत, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, वेटलैण्ड्स वगैरह तथा अभयारण्यों और आरक्षित प्रदेशों में मछली पकड़ने का अधिकार मिलना चाहिए।
- मछली पकड़ने से पहले और उसके बाद की प्रक्रियाओं के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। छोटे मछुआरों को जमीन के उपयोग का अधिकार मिलना चाहिए।
- छोटे मछली पालकों को किसी जल स्रोत में लीज़ पर लिए गये भाग पर लीज़ की अवधि की सुनिश्चितता का (लीज़ की

अवधि की समाप्ति से पहले जगह खाली करवाने के विरुद्ध) अधिकार मिलना चाहिए।

- ❖ छोटे मछली पालकों को लीज़ की शर्तो के अनुसार अधिकारों का उपभोग करने का अवसर मिलना चाहिए और लीज़ का किराया विनियमित होना चाहिए।
- ❖ मछली पालन न करने वाले अन्य पूँजी निवेशकों की तुलना में छोटे मछली पालकों को सरकार के स्वामित्व के जल संसाधन और जलाशयों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनको आसान शर्तों का (स्थापित मानदण्ड के अनुसार नहीं, परंतु जो वास्तविक उत्पादन हो रहा है उसके अनुसार) लीज़ मिलना चाहिए। पाँच वर्ष की अवधि तक लीज़ रेन्ट बढ़ाया न जाए।
- ❖ छोटे मछली विक्रेता को मछली बेचनेका किसी निश्चित अथवा अनिश्चित स्थान से उसकी सहमती के बिना न हटाया जाए। वहाँ से बिक्री करना उसका अधिकार मानना चाहिए। अगर हटाया जाए तो उसको कोई और उचित जगह देनी चाहिए।
- ❖ अगर उस बाज़ार अथवा स्थान का, जहाँ छोटे मछुआरे मछली बेचते हैं, पुनर्निर्माण हो रहा है अथवा नया मछली बाज़ार बनाया जा रहा है तो छोटे मछली विक्रेताओं को फिर से यहाँ जगह दी जाए।

ग) प्रशासन का अधिकार :

- ❖ छोटे मछुआरा समुदायों का हमारे समुद्रों, नदियाँ, नहरों, झीलों, वेटलैण्डस, जलाशयों और तालाबों में पानी और मछली के संरक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- ❖ छोटे मछुआरा समुदायों को समुद्रों, नदियाँ, नहरें, वेटलैण्ड्स, तालाबों जलाशयों और अन्य जल स्रोतों में तथा वाटरशेड (जलग्राही प्रदेश और वहन क्षेत्र) के प्रबंधन और तत्संबंधी निर्णय एवं उपयोग का अधिकार मिलना चाहिए।
- ❖ छोटे मछुआरा समुदायों को मच्छीमारी और पालन संबंधी विनाशक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने और रोकने, प्रदूषण और कब्ज़ाखोरी को रोकने का अधिकार मिलना चाहिए।
- ❖ छोटे मछली विक्रेताओं को मछली के डिपो और मछली के खुदरा बाज़ार के प्रबंधन में शामिल होने का अधिकार देना चाहिए।
- ❖ छोटे मछली विक्रेताओं को मछली डिपो और मछलियों के एकत्रीकरण केन्द्रों के प्रबंधन में शामिल होने का भी अधिकार देना चाहिए।

घ) आर्थिक सशक्तिकरण और ऋण का अधिकार :

- ❖ छोटे मछुआरों, मछली पालकों और मछली विक्रेताओं को अपने

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहकारी संस्थाएं, मछली उत्पादन ग्रुपों, सेल्फ-हेल्प ग्रुपों इत्यादि चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इस कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे संगठन बनाने के लिए आसान और पारदर्शी नियमावली बनानी चाहिए।

- ❖ छोटे मछुआरों, मछली पालकों और मछली विक्रेताओं को कब्ज़ाखोरों, शाहुकारों और माइक्रो-फाइनॅन्स कंपनियों के शोषण से बचाना चाहिए और बैंक समेत सभी सरकारी ऋण व्यवस्था में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। (किसान क्रेडिट सुविधा का लाभ छोटे मछुआरों को भी मिलना चाहिए।

ङ) जानकारी, उत्कृष्ट सामग्री और तकनीक प्राप्त करने का अधिकार :

- ❖ पारंपरिक ज्ञान और मच्छीमारी में कुशलता का आदर करके उसका संग्रह करना चाहिए।
- ❖ छोटे मछुआरों, मछली पालकों और मछली विक्रेताओं को नावें, जाल आदि बनाने और कोल्ड चेन के रखरखाव के लिए टेकनोलोजी, जानकारी, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। मौसम, ज्वार-भाटा, जलाशय से कब, कितना पानी छोड़ा जाएगा आदि जानकारी देनी चाहिए। इसके उपरान्त, तालाब कैसे बनाया जाए इसकी तकनीक, हैचरी और उत्कृष्ट बीज और छोटी शिशु मछली, पालन की

पद्धतियाँ, उत्तम आाहार और बाजार की सुविधा भी देनी चाहिए।

- ❖ छोटे मुछुआरों, मछली पालकों और मछली विक्रेताओं को केकड़े को मोटा बनाने और जंगली मछली के पालन जैसी मूल्य संवर्धन की कार्यप्रणालियों की तकनीक, जानकारी और प्रशिक्षण देना चाहिए। तदुपरान्त, मछली का अचार, पापड़ जैसी मूल्य संवर्धित प्रोडक्ट बनाने के तरीके और जानकारी और बाज़ार की सुविधा भी देनी चाहिए।
- ❖ छोटे मछली पालक साजसज्जा की मछलियों की फसल और पालन जैसे लाभकारी व्यवसायों में जा सके इस हेतु से उन्हें टेकनोलोजी, जानकारी, प्रशिक्षण और सहायता देनी चाहिए।
- ❖ मत्स्यकर्मियों के लिए सरकारी योजनाओं की सार्वजनिक रूप से सूचना देनी चाहिए और संपूर्ण पारदर्शकता के साथ लाभार्थियों का चुनाव कर के लाभों का आबंटन किया जाना चाहिए।

च) आमूल ढाँचे का अधिकार :

- ❖ छोटे मछुआरों को आमूल ढाँचे की मदद लेने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित का समावेश किया जाए -
  - नावें और जालें, तथा नाव और जाल बनाने की सुविधा।
  - मछली को उतारने के लिए जेटी-निर्मित लैंण्डिंग स्टेज।

- मछली को सुखाने के प्लैटफार्म और सोलर ड्रायर्स।
- लैण्डिंग सेंटर पर बिजली, पीने का पानी, आराम का स्थान, शौचालय।
- लैण्डिंग सेंटर तक आने–जाने के लिए रास्ते और वाहन की सुविधा।
- कोल्ड स्टोरेज, मछली सुखाने और उसके संस्करण की सुविधा, आइस फैक्ट्रियाँ।

❖ छोटे मछली पालकों को निम्नलिखित सुविधाएं देनी चाहिए।

- नावें, और जालें तथा अन्य उपकरण।
- मछलियों को इकट्ठा करने, नीलाम करने और बाज़ार में बेचने की सुविधा।
- हैचरी से संपर्क, उत्तम बीज, मछली का आहार और रोग के इलाज की सुविधा।

❖ छोटे मछली विक्रेताओं को निम्नलिखित सुविधाएं देनी चाहिए :

- मछली एकत्र करने के केन्द्र, मछली के डिपो, और खुदरा बाज़ार तक परिवहन की सुविधा – (व्यैक्तिक, सामूहिक अथवा सार्वजनिक)
- मछली के डिपो और खुदरा बाज़ार में प्राथमिक सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय और आराम का स्थान।

- बाज़ार तक आने जाने के लिए अच्छी सड़क, बेचने के लिए पक्के प्लैटफार्म और बिक्री की जगह की सफ़ाई की सुविधा होनी चाहिए।

छ) सामाजिक सुरक्षा और जीवननिर्वाह साधन के सुरक्षा का अधिकार :

❖ छोटे मत्स्यकर्मियों को सभी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल की जाएं –

- सभी मत्स्यकर्मियों के लिए घर।
- अन्न सुरक्षा का छत्र।
- जीवन और स्वास्थ्य बीमा।
- नावों और जालों तथा मछली पालन और मछली की बिक्री के लिए रखे गये वाहन के लिए बीमा।
- वृद्धावस्था और पंगुता के लिए पेंशन।
- बच्चों की शिक्षा में आर्थिक सहाय।

ज) महिला मत्स्यकर्मियों के अधिकार :

- सरकार को चाहिए कि वह मत्स्योद्योग क्षेत्र में महिलाओं के संरक्षण के लिए विशेष नीति बनाए। महिला मत्स्यकर्मियों के योगदान के आँकड़े इकट्ठा करना चाहिए और उसके आधार पर यह नीति बनानी चाहिए।

- महिला मत्स्यकर्मियों के लिए विशेष योजनाएं और आबंटन आवश्यक है, जिससे महिलाएं कि स्थिति में बदलाव किया जा सके।

- उनको ऋण की सुविधा, व्यवसाय चलाने में मदद और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

- मत्स्यकर्मियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ महिलाओं के लिए अधिमान्य अधिकार कि रूप से भी लागू किया जाए जैसे –

  – जैसे घर, जीवन और स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था और पंगुता का बीमा, विधवा पेंशन, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सहाय।

  – मत्स्यकर्मियों के लिए के लिए बनाई गई कल्याण और लाभ योजनाएं।

  – मत्स्यकर्मियों की सहकारी संस्थाएं, उत्पादन ग्रुप और सेल्फ–हेल्प ग्रुपों बनाने और चलाने में सहाय।

- मछली की बिक्री, छोटे तरापों के द्वारा मछली पकड़ना, केकड़े और म्यूसेल इकठ्ठा करना इत्यादि कामों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इन क्षेत्रों के विकास के विशेष प्रयास किये जाएं।

- मछली बाज़ार, मछली डिपो और महिला मत्स्यकर्मियों के काम के लिए इकठ्ठा होने के स्थानों पर शौचालय, आराम के स्थान, पालनागर आदि प्राथमिक सुविधाएं विकसित की जाए।